झारखण्ड सरकार
निबंधन विभाग

!! आदेश !!

संचिका सं०:– .....

रांची, दिनांक:–.....

दिनांक 21.12.2013 से ई–स्टाम्पिंग का शुभारंभ किया गया है तथा वर्तमान में ई–स्टाम्पिंग द्वारा गैर–न्यायिक मुद्रांकों की बिक्री की जा रही है । ई–स्टाम्प की वैधानिक अधिमान्यता मुद्रित स्टाम्पों के समान है तथा इनकी मूल्य वापसी/नवीकरण मुद्रित स्टाम्पों की वापसी/नवीकरण के प्रावधानों अनुसार ही की जाएगी। इस संबंध में भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 एवं बिहार मुद्रांक नियमावली, 1954 के समस्त प्रावधान प्रभावी होंगे ।

ई–स्टाम्प के मूल्य वापसी/नवीकरण हेतु निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:–

1) ई–स्टाम्प के मूल्य वापसी हेतु समस्त आवेदन ई–स्टाम्प क्रय किए गए जिले के समाहर्त्ता के समक्ष प्रस्तुत किए जाएगें ।
2) समाहर्त्ता ई–स्टाम्प की सत्यता की जांच हेतु मूल ई–स्टाम्प को संबंधित जिला अवर निबंधक को प्रेषित करेंगे ।
3) मूल ई–स्टाम्प प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जिला अवर निबंधक अपने User ID एवं Password का उपयोग कर ई–स्टाम्प की सत्यता जांच कर उक्त ई–स्टाम्प के नम्बर को लॉक कर देंगे ।
4) ई–स्टाम्प का नम्बर लॉक करने के उपरांत जिला अवर निबंधक अपने हाथ से ई–स्टाम्प पर Stamp locked and cancelled शब्द पृष्ठांकित करेंगे तथा अपनी अनुशंसा के साथ ई–स्टाम्प समाहर्त्ता को लौटा देंगे ।
5) जिला अवर निबंधक द्वारा ई–स्टाम्प की सत्यता जांचने के उपरांत समाहर्त्ता द्वारा नियमानुसार मूल्य वापसी/नवीकरण की कार्रवाई यथाशीघ्र की जाएगी ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

ह०/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक:– 1123

रांची, दिनांक:– 27-8-14

प्रतिलिपि:– सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त–सह–जिला निबंधक, झारखण्ड/ सभी निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक/सभी जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव